

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2003

संख्या का०आ० 63/ह०अ० 6/2003/घा० 59/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० वेब 6/ह०अ० 6/2003/घा० 59/2003, दिनांक 31 मार्च, 2003, के प्रति निर्देश से उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख, ग तथा घ में प्रथम अप्रैल, 2003, से निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में, (1) विद्यमान अनुसूची ख तथा ग के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“अनुसूची-ख

[देखिए धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)।

क्रम संख्या	माल का विवरण	अपवाद तथा शर्तें
1	2	3
1.	सॉबिजियां जिसमें लाल मिर्च, सूखी या अन्यथा शामिल नहीं है।	सिवाए इसके कि जब वे मुहरबन्द कन्टेनरों में बेची जाएं।
2.	गन्ना, बाजरा, मक्का तथा ज्वार।	
3.	दूध, सोयाबीन दूध।	संघनित तथा सूखे दूध के सिवाए।
4.	खुरों पर मांस के सिवाए मांस, मछली और अण्डे।	सिवाए इसके कि जब वे मुहरबन्द कन्टेनरों में बेचे जाएं।
5.	ताजा फल।	
6.	सामान्य नमक।	
7.	औरल रिहाईड्रेशन साल्ट।	
8.	फूल।	
9.	घान (पत्ता)।	

1	2	3
10.	व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग, व्यापार तथा उद्योग के लिए वाणिज्यिक सूचना उपलब्ध करवाने वाले प्रकाशनों, पुस्तकों, वार्षिक रिपोर्टों, स्मारिकाओं, पुनर्विलोकन रिपोर्टों तथा उसी प्रकार के प्रकाशनों, लेखा पुस्तकों तथा डायरियों को छोड़कर पाठ्य पुस्तकें तथा साहित्यिक पुस्तकें।	
11.	पत्रिकाएं।	
12.	अभ्यास और आरेखन पुस्तिकाएं।	
13.	लेखन स्लेटें, स्लेट पैसिलें, ब्रेल टाईपराईटर, ब्रेल स्लेटें तथा ब्रेल स्टेशनरी।	
14.	(i) लेखन चाक चित्राकनिया; (ii) लेखन स्याही तथा बाल पैन या पैन जिसका अधिकतम परचून मूल्य रुपये 25 प्रत्येक हो।	
15.	ड्राईंग में प्रयोग होने वाली रंगदार पैन्सिले तथा सामान्य ग्रेफाइट पैन्सिले जो सिक्के की पैन्सिलो के नाम से जानी जाती है।	
16.	हस्त निर्मित कागज।	जब खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी ग्रामोद्योग मण्डल से असली प्रमाण-पत्र प्राप्त, प्रदूषण मुक्त उद्योग द्वारा विनिर्मित किया जाए तथा बेचा जाए।
17.	स्कूलों में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले फुटे।	
18.	समी प्रकार के सूती, ऊनी या रेशमी वस्त्रों की समी किस्में जिनमें रेयान, कृत्रिम रेशम या नाइलोन भी शामिल है किन्तु इसमें ऐसे दरिया, गलीचे, ऊनी दरियां, सूती फर्शी दरिया, कम्बल, कालीन तथा समी प्रकार के शोषक नमदे जिन पर विक्रय कर के बदले अतिरिक्त आबकारी शुल्क उदगृहीत नहीं है।	
19.	वस्त्रों की समी किस्में, जो मद 18 के अन्तर्गत हैं, जिन पर बुनाई और कढ़ाई का काम किया गया है।	जिन पर विक्रय कर के बदले में अतिरिक्त आबकारी शुल्क उदगृहीत किया जाता है।

1	2	3
20.	वस्त्र का आधार क रूप म रखकर कनबस वस्त्र की तिरपालो की ऐसी किस्मे और समरूप अन्य उत्पादों की ऐसी किस्मे, जो कपड़ा मिलो, शक्ति चालित करघों के कारखानों और प्रसंस्करण कारखानों मे विनिर्मित की जाती है, किन्तु इनके अन्तर्गत पारेषण-पट्टिया नहीं हैं।	जिन पर विक्रय कर क बदले मे अतिरिक्त आबकारी शुल्क उदगृहीत किया जाता है।
21.	जिल्दसाजी के लिए साधारणत. उपयोग में लाए जाने वाले चर्म-वस्त्र और घटिया या नकली चर्म-वस्त्र, रबड़ प्रयुक्त ऊतक (टिशू) या संश्लिष्ट जलरोधी वस्त्र चाहे अकेले धागे से बना हो या दोहरे धागे से, जिल्दसाजी सम्बन्धी सूती वस्त्र।	जिन पर विक्रय कर के बदले मे अतिरिक्त आबकारी शुल्क उदगृहीत किया जाता है।
22.	विद्युत ऊर्जा।	
23.	फोटोग्राफ जिसके अन्तर्गत हैं एक्स-रे फोटोग्राफ।	जब फोटोग्राफ तैयार करने वाले फोटोग्राफरो द्वारा तथा फोटो तैयार करने वाले विक्रेता विक्रेताओं द्वारा बेध जायें।
24.	कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कृषि संयंत्र तथा सिंघाई संयंत्र जिनका विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है :—	
अ.	साधारण कृषि यन्त्र :	
1.	हैंड हो या खुरपा	
2.	सिक्कल	
3.	स्पेड	
4.	भागुरी	
5.	हैंड-व्हील हो	
6.	बागवानी औजार जैसे कि बडिंग, ग्राफटिंग नाईफ, शीफ, फरुनिंग शियर या हुक, हेज शियर, स्प्रिंकलर, रैंक	
7.	स्परेयर, डस्टर तथा स्परेयर-कम-डस्टर	
8.	साईल इनजेक्टर	
9.	जन्दरा	
10.	व्हील बारो	

1	2	3
	11. विनोवर/विनोवरिंग फैन	
	12. डिबलर	
	13. गडासा	
	14. फुडलर	
	15. फर्टीलाईजर सीड ब्रोड कास्टर	
	16. मैज शीलर	
	17. ग्राउंडनट डिक्कोरटिकेटर	
	18. मैनयोर या सीड स्क्रीन	
	19. फलेम गन	
	20. सीड ग्रेडर	
	21. हैंड ड्रावन चैफ कटर तथा उनके गुर्जे बोल्ट्स, नट्स और स्पॅरिंग्ज को छोड़कर	
	22. तसला	
	23. टांगली	
आ.	बैल चलित कृषि यन्त्र :	
	1. योक	
	2. प्लो	
	3. हैरो और इसके निम्नलिखित कलपुर्जे :	
	(i) हैरो फ्रेम	
	(ii) हैरो स्पूल	
	(iii) हैरो एक्सल	
	(iv) हैरो स्क्रैपर	
	(v) हैरो ड्राबार	
	(vi) हैरो ड्राबार "यू"	
	(vii) हैरो कलैम्प	
	(viii) हैरो हैंडल	

1	2	3
	(ix) हैरो क्लव	
	(x) हैरो पथाला	
	(xi) हैरो डिस्क	
	4. कलटीवेटर या त्रिफाली	
	5. रीड ड्रिल, फर्टीलाइजर ड्रिल, सीड-कम-फर्टीलाइजर ड्रिल	
	6. पलान्टर	
	7. पलांक या फ्लोट	
	8. लेयलर या रकूप	
	9. रीजर	
	10. डिच्वर	
	11. बण्ड फोरमर	
	12. श्रेसर या पाला	
	13. ट्रांसप्लान्टर	
	14. चैफ कटर तथा उनके पुर्जे बोल्टस, नट्स और स्प्रिंग्स को छोड़कर	
	15. परशीयन व्हील और बकट चैन या वाशर चैन	
	16. कार्ट और उनके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) एनीमल ड्रीवन व्हाईकल रिमज	
	(ii) एनीमल ड्रीवन व्हाईकल एक्सल	
	(iii) ड्राबार	
	(iv) हुक	
	17. रिपर	
	18. मोवर	
	19. शूगर केन क्रेशर	
	20. केन जूस बोवाईलिंग पैन और ग्रेटिंग	
	21. रोल्लर	

1	2	3
३.	ट्रैक्टर वालित कृषि यन्त्र	
	1. प्लो और इनके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) मोल्ड बोर्ड प्लो असैम्बली	
	(ii) डिस्क प्लो क्वर्ज	
	(iii) डिस्क प्लो हब	
	(iv) डिस्क प्लो लैन्ड व्हीलज	
	(v) डिस्क प्लो शूज	
	(vi) डिस्क प्लो ब्रैकट कैप	
	(vii) डिस्क प्लो ब्रैकट	
	(viii) डिस्क प्लो असैम्बली स्क्रैपर	
	(ix) डिस्क प्लो ब्रैकट स्क्रैपर	
	(x) डिस्क प्लो ब्रैकट फरो व्हील	
	(xi) डिस्क प्लो असैम्बली एक्सल	
	(xii) डिस्क प्लो स्प्रिंग कैप	
	(xiii) डिस्क प्लो असैम्बली-स्पीडिल और डस्ट कैप	
	(xiv) डिस्क प्लो फरो व्हील	
	2. हैरो और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) हैरो फ्रेम	
	(ii) हैरो स्पूल	
	(iii) हैरो बुश	
	(iv) हैरो कास्ट आयरन नट और चेक नट	
	(v) हैरो हब	
	(vi) हैरो एक्सल	
	(vii) हैरो निम्पल बोल्ट	
	(viii) हैरो लाक पट्टी	
	(ix) हैरो स्क्रैपर	

1	2	3
---	---	---

- (x) हरो ड्राबार
(xi) हैरो ड्राबार "यू"
(xii) हैरो कलैम्प
(xiii) हैरो हैन्डल
(xiv) हैरो क्लच
(xv) हैरो पतनाल
(xvi) हैरो डिस्क
3. कल्टीवेटर और टिलर और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :
- (i) टिलर टाईन असैम्बली
(ii) टिलर टाईन
(iii) टिलर स्परिंग
(iv) टिलर शोवल/फाला
(v) टिलरपिन
(vi) टिलर अकर पिन
(vii) टिलर टोगल असैम्बली
(viii) टिलर लिंकपिन
(ix) टिलर टाईन स्टाप
(x) टिलर असैम्बली टूल बार
(xi) टिलर-3 प्वायट लिंकेज
(xii) टिलर टवीस्ट पत्ती
(xiii) टिलर एंगल ब्रैकट
(xiv) टिलर फ्रेम फ्रन्ट और रियर
4. सीड ड्रिल फर्टीलाईजर ड्रिल या सीड-कम-फर्टीलाईजर ड्रिल और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :
- (i) सीड ड्रिल टाईन
(ii) सीड ड्रिल शोवल/फाला
(iii) सीड ड्रिल गरारी
-

1	2	3
	(iv) सीड ड्रिल फिडर (पिस्टल)	
	(v) सीड ड्रिल स्पाऊट	
	(vi) सीड ड्रिल हुप्पर असेम्बली	
	(vii) सीड ड्रिल ग्राउन्ड व्हील	
	5. फर्टीलाईजर ब्रोडकार्टर	
	6. प्लान्टर	
	7. प्लाक या फ्लोट	
	8. लैवलर या स्कूप और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) लैवलर फ्रेम असेम्बली	
	(ii) लैवलर ब्लेड	
	(iii) लैवलर मेन फ्रेम	
	9. बंड फारगर	
	10. रिजर और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) रिजर टाईन	
	(ii) रिजर शूज	
	(iii) रिजर/शोवल/फाला	
	11. ट्रेलर और इसके निम्नलिखित कल पुर्जे :	
	(i) एनीमल ड्रीवन व्हाईकल रिमज	
	(ii) एक्सलज	
	(iii) ट्रेलर ड्रा बार	
	(iv) ट्रेलर हुक	
	12. पुडलर	
	13. डिच्चर	
	14. केंज व्हील	
	15. स्परेयर, डस्टर तथा स्परेयर-कम-डस्टर	
	16. रोलर	
	17. हो, रोटेरी हो या रोटोवैटर	

1	2	3
---	---	---

18. रिपर या मोवर हारवेस्टर

19. पेटेटो हारवेस्टर या स्पिनर

20. ग्राउंडनट डिगर शैलर

21. ट्रासप्लांटर

ई. विजली यन्त्र

1. थैशर और इनके निम्नलिखित कल पुर्जे :-

(i) थैशर वेंट व्हीलज

(ii) थैशर जाली

(iii) थैशर सीत रोट

(iv) थैशर "यू" कलैम्प और बीटर

(v) थैशर रोटर

(vi) थैशर ग्राउन्ड व्हीलज

2. वैफ कटर और उनके पुर्जे बोल्ट्स, नट्स और स्पेरिंग्स को छोड़कर

3. मेज शैलर

4. ग्राउंडनट डिगोरटिकेटर

5. सीड ग्रेडर

6. विनोवर

7. सीड टीटर

8. पावर स्पेयर या लस्टर

9. सभी प्रकार के कृषिक पम्पिंग सैट्स इसमें शामिल हैं अवगाहनक्षम पम्प और सिंक्रल सिंचाई प्रणाली उपस्कार और टपका सिंचाई प्रणाली और उनके निम्नलिखित सघटक, अर्थात् :-

(i) कन्ट्रोलर यूनिट्स

(ii) उर्वरक एप्लीकेटर/इन्जेक्टिंग उपस्कार.

(iii) डिपर/इमीटर/मिक्सी/सिंक्रलर/स्पीनर.

1	2	3
	(iv) फिल्डेशन यूनिट्स-मेश/स्ककीन/सैंड/ग्रावल,	
	(v) डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब/माईक्को ट्यूब,	
	(vi) बिल्ट-इन ड्रिप-इन-एल, एल डी0 पी0 ई0 पाईप,	
	(vii) बाई-पास ट्यूब,	
	(viii) उपकरण जैसे कि कपलरज, ज्याईट्स, बैड, टीज, साकेट्स, डिलीवरी पाईप, प्रेशर गेज, रेगुलेटर इत्यादि	
	(ix) वान्वस,	
	(x) प्राईम मूवर जैसे कि फिटिंग्स सहित इलेक्ट्रिक डीजल पम्प सेट पांच हार्स पावर का.	
	10. पोलवरी फीड ग्राईन्डर और मिक्सर	
	11. ट्रांसप्लान्टर	
25	परखा और उसके पुर्जे।	
26.	भारतीय रैडक्रास सोसाइटी, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन, इन्द कृष्ण निवारण संघ, भ्रवण तथा वाक अक्षम कल्याण सोसाइटी करणाल, एस0ओ0एस0 बाल ग्रामसंगम (बाल कल्याण केन्द्र), पंचकूला तथा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् तथा उनकी अपनी-अपनी शाखाओं को बचा सभी माल।	
27	कार्बोनेक खाद	
28.	भारत के केंथोलिक अस्पताल द्वारा चलाई जा रही कन्द्रीय परचेजिंग सर्विस नई दिल्ली को बेची जान वाली सभी वस्तुएं।	जब BEGECA ऐनचन जर्मनी के माध्यम से विदेशी मुद्रा के विरुद्ध बेची जाए परन्तु केन्द्रीय परचेजिंग सर्विस नई दिल्ली के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि ये वस्तुएं भारत में स्वास्थ्य कल्याण तथा विकास प्रोग्रामों में विभिन्न धर्मों से जुड़ी बिना लाभ चलाने वाली संस्थाओं हेतु खरीदी गई हैं।

1	2	3
29.	(i) विदेशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब सिवाए जब वह अनु० 4/ अनु० 5 या अनु० 12 ग अनुज्ञापतिधारी द्वारा बेची जायें। (ii) देशी शराब	जिस पर राज्य आबकारी शुल्क अदा हो चुका हो।
30.	न्यायिक स्टाम्प और न्यायिकेतर स्टाम्प, मनोरंजन-शुल्क स्टाम्प, यात्री और माल कर स्टाम्प, मानक जलांकित याधिका पत्र, फिलटलिक टिकटे तथा डाक स्टेशन्री।	
31.	हाथ से काता हुआ सूत।	जब उस व्यक्ति द्वारा बेचा जाए, जो पूर्णतः हाथ से काते हुए सूत का व्यवहार करता है।
32.	अपरिष्कृत रूप में रंगा हुआ चमड़ा, जिसे अघ-रंगा चमड़ा कहा जाता है, जो प्रायः ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा रंगा जाता है (किसी कारखाने में रंगे हुए चमड़े से भिन्न)।	
33.	रेवड़ी, पतासे, गजक, मिश्री (मिश्री या कृजा), गोलियां, मखाना, मरुण्डा और फुलिया।	
34.	पापड़	जब राज्य में महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, माडल टाऊन, करनाल द्वारा विनिर्मित किये जाएं और बेचे जाए।
35.	तम्बाकू, चाहे कच्चा, अपरिष्कृत या विनिर्मित हो और इसके सभी उत्पाद, जिनके अन्तर्गत हैं, बीड़ियां, सिग्रेट और सिगार।	
36.	कृत्रिम श्रवण साहाय्य और उनके उपसाधन।	
37.	वनस्पति बीज।	
38.	सभी प्रकार का पन्नीरी।	
39.	घारा जैसे कि:- (i) हरा घारा तथा भुसा (ii) अनाज का छिलका जिसमें चावल की भूसी तथा जीरी का छिलका शामिल नहीं है। (iii) सभी दालों का छिलका तथा वूरी। (iv) गुआर/चूरी/कोरमा।	
40.	कुम्हारों द्वारा बनाये गये मिट्टी के बर्तन।	
41.	कीकर की छाल।	

1	2	3
42.	गांव में बने जूते (देसी जूती)।	जब ऐसी जूतियां बनाने वाले द्वारा स्वयं या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो कि निर्माता द्वारा नियोजित हो, द्वारा बेची जाती हैं, परन्तु बनाने वाला जूतियां बनाने के किसी भी प्रक्रम पर कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 2 के खण्ड (छ) में यथापरिभाषित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता।
43.	स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तख्तिया।	
44.	भारत में विनिर्मित या बनाई गई चीनी, खाण्डसारी तथा बुरा।	
45.	किसी भी प्रक्रम पर शक्ति का प्रयोग किए बिना तैयार किए गए बेकरी पदार्थ।	जब बेकरी द्वारा, जो केवल ऐसे पदार्थों का व्यवहार करते हैं, आधानों और पैकटों में बेचने से अन्यथा बेचे जाएं।
46.	उरदाना (पैक करने की सामग्री) और आधान।	जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है, जो केवल इस अनुसूची में वर्णित तस्तुओं का ही व्यवहार करता है किन्तु जो अपने प्रमुख व्यवसाय के आनुसंगिक रूप से ही पैक करने की सामग्री तथा आधानों का विक्रय करता है।
47.	फुट।	
48.	तृण-आवरण	जब निर्माताओं द्वारा या तो स्वयं या उनके श्रमिक सघों के माध्यम से बेचे जाते हैं।
49.	खाद्य तेल, जो पशु या मनुष्य द्वारा चलाये गए देसी कोल्हू में सरसों, तोरिया और तिलों में से निकाले गए हो।	जब केवल ऐसे कोल्हूओं के स्वामियों द्वारा बेचे जाएं।
50.	भारतीय खाद्य पदार्थ, जो साधारणत: तन्दूर-वालों, लोह कीलों और ढाबेवालों द्वारा तैयार किए जाते हैं।	जब केवल तन्दूर, लोह और ढाबे चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा ही बेचे जाएं।

1	2	3
51.	खाद्य और पेय पदार्थ	जब रेलवे प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत रेलवे चाय स्टाल ठेकेदारों द्वारा अपने चाय स्टालों में रेलवे परिसर के भीतर तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित विभागीय कैंटीनों तथा रक्षा संस्थापनाओं में तथा अन्य औद्योगिक संस्थापनाओं में जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 46 के अधीन परिसरों में वर्करो या कर्मचारियों द्वारा उपयोग हेतु कैंटीनों में बेचे जाते हैं।
52.	जल वातित या मिनरल जल या बोनलो या मोहरबन्द आधानों में बेचे जाने वाले जल से मिनरल जल।	
53.	औषधियां।	जब उन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा बेची जाएं, जो केवल अपने निजी रोगियों को ही दवाईयां वितरित करते हैं।
54.	सभी माल, जो सेवारत तथा सेवारत सैनिक कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन (मण्डार) विभाग द्वारा सीधे या प्राधिकृत कैंटीन ठेकेदारों के माध्यम या यूनिट चातित कैंटीनों के माध्यम से बेचे जाए।	
55.	पोल्टी फीड जैसे कि प्रोटीन का मिश्रण नमक तथा मिनरल विटामिन एण्टीबायोटिक्स तथा कोकोइलायास्टेट, चाहे ऐसे मिश्रण में कार्बोहाइड्रेट हो अथवा नहीं।	
56.	बायोगैस प्लांट में प्रयुक्त मशीनरी, सिवाए बर्नरो के जब अलग से बेचे जायें तथा हॉट प्लेट्स।	
57.	यूनीसेफ के प्रीटिंग कार्ड तथा कलैण्डर।	
58.	पशुधन तथा जीवित कुक्कुट पक्षी।	
59.	दही।	
60.	देशी घी जो इसकी प्रक्रिया में किसी स्तर पर बिना बिजली की शक्ति के प्रयोग के निर्मित हो।	

1	2	3
61.	अनाज जब भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार को हरियाणा में फूड फॉर वर्क नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रथम अप्रैल, 1978 से पहले या पूर्व बेची जाए या रूरल लेण्डलैस इम्प्लायमेंट गारंटीड प्रोग्राम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोजेक्ट 2664 या ऐसे किसी प्रोग्राम के अन्तर्गत बेचे जाए।	इस शर्त पर कि सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा राज्य सरकार के प्राप्तकर्ता विभाग से ऐसे अनाज की मात्रा तथा मूल्य दर्शाते हुए प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने क अध्याधीन।
62.	आर्थापेडीकली विकलाग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु कृत्रिम अग/साधन।	
63.	हिमशीत पीर्य जब हरियाणा डेरी डिवल्पमेंट को-फैडरेशन लि० तथा डेरी डिवल्पमेंट विभाग द्वारा बेचा जाए।	
64.	सैलरी बीज।	
65.	काच की चूड़िया अन्य चूड़ियां तथा कड़े।	
66.	सभी प्रकार के गर्म निरोधक।	
67.	माल जो खादी आश्रम पानीपत तथा इसकी विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा जो हरियाणा राज्य के भीतर है क्रय या विक्रय किया जाता है।	जब विक्रय या क्रय ऐसे आश्रम तथा इकाइयों के बीच परस्पर किया जाता है।
68.	पशु आहार अर्थात् चावल पालिश का मिश्रण, तेल निकले चावल का भूसा, चना चूरी, सरसो का सार, शीरा, अकुरित जौ, नमक, खनिज मिश्रण गुरिया तथा क्षतिग्रस्त गेहू का मिश्रण।	केवल जब खाना 2 में वर्णित अंशों के मिश्रण के रूप में देखा जाए।
69.	होजरी कपड़े से भिन्न सूती कपड़े से सिले हुए अण्डरवियर (कच्छ)।	
70.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा उगाये गये उत्पादित तथा बेचे जाने वाले सभी माल।	
71.	सभी प्रकार के खादी कपड़े चाहे वह सूती, उनी, रेशमी या इन्हीं कपड़ों के तैयारशुद्धा वस्त्र, जो ऐसे खादी आश्रम, पानीपत इनके विक्रय डिपो विकेन्द्रित/प्रमाणित इकाइयों और उनके विक्रय निकासों द्वारा बनाये और बेचे जाते हैं जिनके पक्ष में खादी तथा प्रोद्योग अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित आयोग या पंजाब खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा प्रमाणिकता प्रमाण-पत्र जारी किये गये है या किये जाते हैं।	
72.	जूते तथा चप्पल प्रांति जोड़ा जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 100 रुपये से अधिक न हो।	

- | 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 73. | ब्रैड। | |
| 74. | बीज अधिनियम, 1956, के अधीन प्रमाणित एजेन्सी द्वारा प्रमाणित बीज जब ये मोहर बन्द बैगो या कन्टेनरों में बेचे जाते हैं। | |
| 75. | पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के (फ्लैप सहित) टायर और ट्यूब। | |
| 76. | 1. फ्लैट प्लेट सौर संग्राहक।
2. अचल टाईप सौर संग्राहक।
3. सौर जल तापन पद्धति।
4. सौर कुकर सामुदायिक टाईप सहित।
5. सौर तापीय संचयन।
6. सौर प्रशीतन पद्धति।
7. सौर फसल झायर/पद्धति।
8. सौर स्टील/डीसालीनेशन पद्धति।
9. विद्युत उत्पादन के लिये सौर फोटोवोल्टेक पद्धति।
10. जल खींचने के लिए सौर फोटोवोल्टेक पद्धति।
11. जल खींचने, गूसा कटिंग, श्रेशर चलाने, बिजली उत्पादन इत्यादि के लिये बायोमास गैसीफायर।
12. बायोगैस स्टोवज तथा उन्नत चूल्हा।
13. विन्ड एरोजरनेटर। | |
| 77. | संचयन एवं मशीनें और इनके पूंजे जो कृषि एवं नगरपालिका अपशिष्ट को ब्रिकेट में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होते हैं। | |
| 78. | दिन्दी काष्ठ, चिन्दूर, मंगलसूत्र, मेहन्दी राखी तथा यज्ञोपवित। | |
| 79. | कृषि से परिवर्तित डोस ईन्धन ब्रिकोट अर्थात् बुरादा, तूसी, भूसी, खोई पाती, मक्की की डंठले, सूरजमुखी तथा सरसों की डंठले, धान की डठले, (पराती) मूंगफली के छलके तथा सरकंड़े इत्यादि। | |
| 80. | धूप तथा अणुरबती। | |
| 81. | साईकिल रिक्शा। | |
| 82. | लकड़ी का कोयला | |
| 83. | चूना (बूझा हुआ चूना तथा प्रोसेसड चूना को छोड़कर)। | |

अनुसूची ग

[देखिए धारा 7 की उपधारा (1) का खण्ड (क) के उप खण्ड (iii)]

1. फेस्टीसाईड, वीजीसाईड, इन्सेक्टीसाईड तथा हर्बीसाईड।
2. सूती धागे को छोड़ कर सभी प्रकार के सूत के धागे तथा बुनाई वाली ऊन।
3. कच्ची ऊन तथा उसकी रद्दी।
4. काटन वेस्ट, बूल वेस्ट तथा सभी प्रकार के यार्न की वेस्ट।
5. पशु हारमोन।
6. ऑयल केक्स तथा डी-ऑयलड केक्स, डी-ऑयलड चावल की भूसी सहित।
7. भारत गणराज्य के बाहर से आयात किए गए धी से विन्न वनस्पति धी।
8. वनस्पति तेल चाहे खाद्य हो अथवा अखाद्य।
9. मसाले तथा कॉनलीमेन्टस, चाहे साबुत, पाउडर अथवा मिश्रित।
10. गेहू का आटा, मैदा तथा सूजी, चावल का आटा, चने का आटा, बेसन, बारले का आटा, बारले घाट, गुआर तथा उसका आटा, गुआर गिरी, सुखे मटर तथा उनकी दाल, राजमाह, लोबिया तथा रोगी, सगू (साबूदाना)।
11. पार्चड, रोस्टिड या पफड अनाज, पार्चड चने तथा रोस्टिड भूगफली सिवाए जब ये मोहर धाँद डिब्बों में बेचे जाए।
12. सीया मील
13. राइस ब्रेन तथा पैसी हस्क।
14. माचिस।
15. गुड़ तथा शक्कर।
16. चीनी, खण्डसारी तथा घूरा जो भारत में निर्मित या बनाई न गई हो।
17. बोन मील, क्रब्ल बोन, बोन सीन्थूस तथा जली हुई इड्डिया।
18. टैक्टरस
19. हारवेस्टर कमबाइनेन।
20. कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर पैरीफेरलस, यूओपीएस।
21. सल्यूलर फोन या मोबाइल हैंड सेट।

22. धातु के बर्तन तथा रसोई के बर्तन दूध के केन सहित।
23. नॉन फेरस उद्योगिक मेटल पदार्थ जैसे कि इन्गटस, बारस, सलेब, शीट, सर्कल, स्ट्रीप, राडस,, वायर (जिसमें बिजली की तार तथा सुपर इन्वैमल्ड तांबे की तार शामिल न हो), ट्यूब्स, एंग्लस तथा स्क्रैप।
24. फौरो एलायस।
25. कम्पोजिट डकाई द्वारा निर्मित कम्बल।
26. सिले सिलाए कपडे तथा हौजरी समान।
27. छातो का कपडा, तक्कीयो के कवर, रजाई के कवर, कुशन गद्दों के कवर तथा सोफा कवर।
28. पटसन थैले, लैमिनेटेड पटसन के थैले तथा एच0डी0पी0ई0 के थैले।
29. साईकिल, इसके पुर्जे तथा कल पुर्जे।
30. बीडी के पत्ते।
31. पके हुए तैयारशुद्धा सूखे पानी रहित फल, सब्जियां, मछली तथा मीट जब सील बन्द डिब्बों में बेचे जाएं।
32. कच्चा सिल्क।
33. लोहा तथा स्टील से भिन्न किसी अन्य मेटेरियल से बनी पाईपें तथा ट्यूबें।
34. रसायनिक खाद।
35. बम्बू।
36. बर्फ।
37. आग ईन्धन तथा इसका बुरादा।
38. ठनकोरपारिल या इन्टैन्जीबल वस्तुएं।
39. नल कूप तथा इसके भाग । ”।

टिप्पण :- इस अनुसूची में प्रविष्टियां, घोषित माल के अपवर्जन के साधारण अपवाद के अन्तर्गत हैं।

(2) अनुसूची घ में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद अन्त में

निम्नलिखित क्रम सख्या तथा उसके सामने प्रविष्टिया जोड़ दी जाएंगी अर्थात्

1	2	3
	5	4%
<p>5 पेट्रोल, तीव्र गति डीजल, सुपर लाईट डीजल ऑयल तथा लाईट डीजल ऑयल जब निर्यातान्मुखी ईकाईयों (ईओओयूओ) या निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र (ईओपीओजेडओ) इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईओएचओटीओपीओ) स्कीम या साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसओटीओपीओ) के अन्तर्गत स्थापित ईकाइयां बिक्री के लिये माल के विनिर्माण मे ऐसी ईकाई द्वारा प्रयोग के लिए भारत गण राज्य के बाहर निर्यात के सिलसिले मे बेचा जाये ,</p>		

चन्द्र सिंह,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2003

No. S. O. 63/H. A. 6/2003/S. 59/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. S. O. web 6/H.A. 6/2003/S. 59/2003, dated the 31st March, 2003, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B, C and D appended to the said Act with effect from 1st April, 2003, namely :—

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),—

- (1) for the existing schedules B and C, the following schedules shall be substituted, namely :—

“Schedule B

[See Clause (p) of sub-section (1) of section 2]

Serial No.	Description of goods	Exceptions and conditions
1	2	3
1.	Vegetable but not including red chillies, dry or otherwise.	Except when sold in sealed containers
2.	Sugarcane, Bajra, Maize and Jowar	
3.	Milk, Soyabean Milk	Except condensed and dried milk
4.	Meat excluding meat on hoof, fish and eggs	Except when sold in sealed containers
5.	Fresh fruits	
6.	Common salt	
7.	Oral rehydration salt	
8.	Flowers	
9.	Paan (Betel)	

1	2	3
10.	Books excluding publications providing commercial information to specific category of persons, such as, trade and industry brochures, annual-reports, souvenirs and review-reports and the like publications; account-books and diaries	
11.	Periodicals	
12.	Exercise and Drawing books	
13.	Writing slates, slate pencils, braille type-writers, braille slates and braille stationery	
14.	(i) Writing chalks, crayons, (ii) Writing ink and (iii) ball pen, refills or pen up to a maximum retail price of Rs. 25 each	
15.	Coloured pencils used for drawing and ordinary graphite pencils popularly known as lead pencils	
16.	Handmade Paper	When manufactured and sold by pollution free industry having genuineness certificate from Khadi Village Industry Commission/Khadi Village Industry Board
17.	Footrules of the type usually used in schools	
18.	All varieties of cotton, woolen or silken textile including rayon, artificial silk or nylon but not including such carpets, druggets, woolen durrees, cotton floor durrees, rugs and all varieties of dryer felts on which additional excise duty in lieu of sales tax is not levied	
19.	All varieties of textiles covered by item 18 on which knitting and embroidery work has been done	On which additional Excise Duty in lieu of sales tax is levied
20.	Such varieties of canvas cloth tarpaulines and similar other products manufactured with cloth as base as are manufactured in textile mills, powerloom factories and processing factories but not including transmission belts	On which additional Excise Duty in lieu of sales tax is levied

1	2	3
21.	Leather cloth and inferior or imitation leather cloth ordinarily used in book binding : rubber used tissue or synthetic water tissue or synthetic water-proof fabrics whether single textured or double textured and book-binding cotton fabrics	On which additional Excise Duty in lieu of sales tax is levied
22.	Electric energy	
23.	Photographs including X-Rays photographs	When sold by photographers and radiologists preparing them
24.	Agricultural implements and irrigation equipments used for agricultural purposes as detailed below :—	
	A. Ordinary Agricultural Implements :	
	1. Hand hoe or khurpa	
	2. Sickle	
	3. Spade	
	4. Baguri	
	5. Hand-wheel hoe	
	6. Horticultural tools like budding, grafting knife/shear, pruning shear or hook, hedge shear, sprinkler, rake	
	7. Sprayer, duster and sprayer-cum-duster.	
	8. Soil injector	
	9. Jandra	
	10. Wheel barrow	
	11. Winnower/winning fan	
	12. Dibbler	
	13. Gandasa	
	14. Puddler	
	15. Fertilizer seed broadcaster	
	16. Maize sheller	
	17. Groundnut decorticator	

1	2	3
	18. Manure or seed screen	
	19. Flame gun	
	20. Seed grader	
	21. Hand driven chaff cutters and their parts, except bolts, nuts and springs	
	22. Tasla	
	23. Tangli	
	B Bullock Drawn Agricultural Implements	
	1. Yok	
	2. Plough	
	3. Harrow and its following parts-	
	(i) Harrow frame	
	(ii) Harrow spool	
	(iii) Harrow axle	
	(iv) Harrow scrappers	
	(v) Harrow draw bar	
	(vi) Harrow draw bar 'U'	
	(vii) Harrow clamp	
	(viii) Harrow handle	
	(ix) Harrow clutch	
	(x) Harrow pathala	
	(xi) Harrow disc	
	4. Cultivator or triphali	
	5. Seed drill, fertilizer drill, seed-cum-fertilizer drill.	
	6. Planter	
	7. Plank or float	
	8. Leveller or scoop	
	9. Ridger	

1	2	3
	10. Ditcher	
	11. Bund former	
	12. Thrasher or palla	
	13. Transplanter	
	14. Chaff cutters and their parts, except bolts, nuts and springs	
	15. Persian wheel and bucket chain or washer chain	
	16. Cart and its following parts-	
	(i) Animal driven vehicle rims	
	(ii) Animal driven vehicle axle	
	(iii) Draw bar	
	(iv) Hook	
	17. Reaper	
	18. Mower	
	19. Sugar cane crusher	
	20. Cane juice boiling pan and grating	
	21. Roller	
	C Tractor Drawn Agricultural implements	
	1. Plough and its following parts-	
	(i) Mould board plough assembly	
	(ii) Disc plough covers	
	(iii) Disc plough hubs	
	(iv) Disc plough land wheels	
	(v) Disc plough shoes	
	(vi) Disc plough bracket cap	
	(vii) Disc plough bracket	
	(viii) Disc plough assembly scrapper	
	(ix) Disc plough bracket scrapper	
	(x) Disc plough bracket-furrow wheel	
	(xi) Disc plough assembly axle	

1	2	3
	(xii) Disc plough spring cap	
	(xiii) Disc plough assembly-spindle and dust cap	
	(xiv) Disc plough furrow wheel	
	2. Harrow and its following parts—	
	(i) Harrow frame	
	(ii) Harrow spool	
	(iii) Harrow bush	
	(iv) Harrow cast iron nut and chunk nut	
	(v) Harrow hub	
	(vi) Harrow axle	
	(vii) Harrow nipple bolt	
	(viii) Harrow lock patti	
	(ix) Harrow scrapper	
	(x) Harrow draw bar	
	(xi) Harrow draw bar 'U'	
	(xii) Harrow clamp	
	(xiii) Harrow handle	
	(xiv) Harrow clutch	
	(xv) Harrow patnals	
	(xvi) Harrow disc	
	3. Cultivator or tiller and its following parts—	
	(i) Tiller tyne assembly	
	(ii) Tiller tyne	
	(iii) Tiller spring	
	(iv) Tiller shovel/phalla	
	(v) Tiller pin	
	(vi) Tiller anchor pin	
	(vii) Tiller toggle assembly	
	(viii) Tiller link pin	
	(ix) Tiller tyne stop	
	(x) Tiller assembly tool bar	
	(xi) Tiller 3-point linkage	
	(xii) Tiller twist patti	

1	2	3
	(xiii) Tiller angle bracket	
	(xiv) Tiller frame front and rear	
4.	Seed drill, fertilizer drill or seed-cum-fertilizer drill and its following parts—	
	(i) Seed drill tyne	
	(ii) Seed drill shovel/ phalla	
	(iii) Seed drill grari	
	(iv) Seed drill feeder (pistol)	
	(v) Seed drill spout	
	(vi) Seed drill hopper assembly	
	(vii) Seed drill ground wheel	
5.	Fertiliser broadcaster	
6.	Planter	
7.	Plank or float	
8.	Leveller or scoop and its following parts—	
	(i) Leveller frame assembly	
	(ii) Leveller blade	
	(iii) Leveller main frame	
9.	Bund former	
10.	Ridger and its following parts-	
	(i) Ridger tyne	
	(ii) Ridger shoes	
	(iii) Ridger/shovels/phalla	
11.	Trailor and its following parts—	
	(i) Animal driven vehicle rims	
	(ii) Axles	
	(iii) Trailor draw bar	
	(iv) Trailor hook	
12.	Puddier	
13.	Ditcher	
14.	Cage wheel	
15.	Sprayer, duster or sprayer-cum-duster	
16.	Roller	
17.	Hoe, rotary hoe or rotovator	
18.	Reaper or mower harvester	

1	2	3
	19. Potato harvester or spinner	
	20. Groundnut digger sheller	
	21. Transplanter	
	D Power Implements	
	1. Thresher and its following parts—	
	(i) Thrasher weight wheels	
	(ii) Thrasher jali	
	(iii) Thrasher seive set	
	(iv) Thrasher 'U' clamp and beater	
	(v) Thrasher rotor	
	(vi) Thrasher ground wheel's	
	2. Chaff cutters and their parts, except bolts, nuts and springs	
	3. Maize sheller	
	4. Groundnut decorticator	
	5. Seed grader	
	6. Winnower	
	7. Seed treater	
	8. Power sprayer or duster	
	9. Agricultural pumping sets of all kinds including submersible pumps and sprinkler irrigation system equipment and drip irrigation system and their following components, namely :—	
	(i) Control units	
	(ii) Fertilizer applicator/injecting equipment	
	(iii) Dripper/Emitter/ Mixer/Sprinkler/ Spinner	
	(iv) Filtration units:— Mesh/Screen/Sand/Gravel	
	(v) Distribution tube/Micro tube	
	(vi) Built-in-Drip-in-LLDPE pipe	
	(vii) Bi-pass tube	
	(viii) Accessories like couplers, joints, bend sockets, delivery pipe, pressure gauge, regulators etc.	

1	2	3
	(ix) Valves	
	(x) Prime movers i.e. electric/diesel pump set of 5 Horse Power and above with fitting	
	10. Poultry feed grinder and mixer	
	11. Transplanter	
	25. Spinning Wheel (Charkha) and its parts	
	26. All goods sold to the Indian Red Cross Society, St. John Ambulance Association, Hind Kushet Nivaren Sangh, Haryana Welfare Society for hearing and speech handicapped, Haryana Rajya Bal Bhawan, Madhuban, Karnal, SOS Children's Village Association (Bal Niketan), Panchkula and Haryana State Council for Child Welfare and their respective branches.	
	27. Organic Manure	
	28. All goods sold to the Central purchasing Service, New Delhi, operated by the Catholic Hospital Association of India.	When sold against payment in foreign exchange received through BEGECA Anchen, Germany; provided that an authorised representative of the Central Purchasing Service, New Delhi, certified that the goods in question have been purchased for use in community health, welfare and development programmes in India by voluntary non-profit institutions irrespective of religious affiliations.
	29. (i) Foreign liquor and Indian made foreign liquor except when sold by a L-4/L-5 or L-12C licensee,	On which State Excise duty has been paid.
	(ii) Country liquor	

1	2	3
30.	Judicial and non-judicial stamps, Entertainment Duty Stamps, Passengers and Goods tax Stamps, standard watermark petition paper, Philatelic stamps and postal stationery	
31.	Hand-spun yarn	When sold by one who deals in hand spun yarn exclusively
32.	Crudely tanned leather called half tanned leather usually tanned by villagers in villages (other than that tanned in a factory)	
33.	Reori, Patasha, Gajjak, Misri (Candy or Cooza), Golie, Makhana, Marunda and Phullian	
34.	Pappad	When manufactured and sold by Sri Mahila Griha Udyog Lijat Pappad, Model Town, Karnal
35.	Tobacco whether crude, uncrude or manufactured and all its product including Biri, cigarettes, cigars.	
36.	Artificial hearing aids and their accessories	
37.	Vegetable seeds.	
38.	All kinds of saplings.	
39.	Fodder that is to say:—	
	(i) Green fodder and bhoosa;	
	(ii) Chilka of cereals excluding rice bran and Paddy husk	
	(iii) Chilka and churi of all pulses; Guar Churi, Korma	
40.	Earthenware made by Kumhars	
41.	Kikar bark	
42.	Country made shoes (Desi Joottie)	When sold by the maker of such shoes himself or by any other member of

1	2	3
		his family or by any other person employed by the maker, provided that the maker does not use Power as defined in clause (g) section 2 of the Factories Act, 1948, at any stage for making shoes.
43.	Takhtis used by students in schools	
44.	Sugar, Khandsari and Boora manufactured or made in India	
45.	Bakery goods prepared without using power at any stage	When sold, otherwise than in containers and packets by bakers dealing exclusively in such goods.
46.	Bardana (packing material) and containers	When sold by a person who deals exclusively in goods specified in this schedule, but sells packing material and container only as incidental to his main business
47.	Kuth	
48.	Straw cover	When sold by manufacturers themselves or through their labour unions
49.	Edible oils produced from sarson, toria and til in indigenous kohlu whether worked by animals or human beings	When sold by the owners of such Kohlus only
50.	Indian food preparation ordinarily prepared by tandoorwala, loh wala and dhabawala	When sold by persons running tandoor, loh and dhaba exclusively
51.	Eatables and drinks	When sold by the Railways Tea Stall Contractors authorised

1	2	3
		by Railway authorities within the Railway premises at their Tea Stall and by the departmental canteens set up by the Government of India and canteens in the Defence establishments and other industrial establishments which are set up under section 46 of the Factories Act, 1948, within their premises for consumption by the workers or employees thereof
52.	Water other than aerated or mineral water or water sold in bottles or sealed containers	
53.	Medicines	When sold by the registered medical practitioners who dispense medicines exclusively to their own patients
54.	All goods sold to the serving military personnel and ex-servicemen by the Canteen Stores Department direct or through the authorised Canteen Contractors or through Unit run canteens	
55.	Poultry feed, that is to say, a mixture of proteins, salt and minerals, vitamins, antibiotics and coccidiosis, whether such mixture contains carbohydrates or not	Only when sold as a mixture of the constituents mentioned in column 2
56.	Machinery used in bio-gas plant except burners when sold separately and hot plates	
57.	UNICEF Greeting Cards and Calendars	
58.	Live stock and live poultry birds	
59.	Curd	

1	2	3
60. Desi-ghee manufactured without the aid of electric power at any stage in its process		
61. Foodgrains sold by the Food Corporation of India to the Government of India for supply to the State of Haryana under the Food for Work National Rural Employment Programme or under Rural Landless Employment Guaranteed Programme or under World Food Programme project 2664 or such other programme		Subject to furnishing of a certificate indicating the quantity and value of such foodgrains from the receiving Department of the State Government
62. Artificial limbs/aids for use by orthopaedically handicapped persons		
63. Frozen semen when sold by the Haryana Dairy Development Co-operative Federation Ltd., or Haryana Dairy Development Department		
64. Celery seeds		
65. Glass bangles, other bangles and karra		
66. All types of Contraceptives		
67. Goods sold or purchased by Khadi Ashram, Panipat and its decentralised units, which are located within the State of Haryana		When the Sale or purchase takes place between such Ashram and units <i>inter-se</i>
68. Cattle feed, that is to say, a mixture of rice polish, rice bran deoiled, gram churi, mustard extraction, molasses, barley sprout, salt, mineral mixture, urea and damaged wheat		Only when sold as a mixture of the constituents mentioned in column 2
69. Under-wear (Kachha) sewn out of cotton cloth other than hosiery cloth		
70. All goods grown, produced and sold by the Haryana Agricultural University, Hisar		
71. All varieties of Khadi Textiles whether cotton, woollen, silken or readymade garments of such textiles manufactured and sold by Khadi Ashram Panipat, its sale depots, decentralised/certified units and other units and their sale outlets		In whose favour certificates of genuinenss have been issued by the Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, or the Board. constituted under the Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955

1	2	3
72.	Shoes and chappals with maximum retail price not exceeding Rs. 100 per pair	
73.	Bread	
74.	Seeds certified by the certification agency under the Seeds Act, 1956.	When sold in sealed bags or containers
75.	Tyres and tubes (including flaps) of animal drawn vehicles	
76.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flat Plate Solar Collectors 2. Concave type Solar Collectors 3. Solar Water Heating System 4. Solar Cookers including Community type 5. Solar Thermal Power Plants 6. Solar Refrigeration System 7. Solar Crop, Dryers/System 8. Solar Stills/Desalination System 9. Solar Photovoltaic Systems for Electricity Generation 10. Solar Photovoltaic Systems for Water Lifting 11. Biomass Gasifiers for Water lifting, chaff, cuttings, Thrasher running, electricity generation etc. 12. Biogas stoves and improved Chullah 13. Wind aerogenerator 	
77.	Plant and Machinery and its parts used for the conversion of agricultural and municipal waste into briquettes	
78.	Sindur, Bindi, Mangalsutra, Mehendi, Kajal, Rakhi and Yagyopavit	
79.	Solid fuel briquettes converted from agrowaste i.e. wood dust, paddy-husk, bagasse, sugarcane trash, maize stalks, sunflower and mustard stalks, paddy-stalks (parali), groundnut shells and Sarkanda etc.	
80.	Dhoop and Aggarbati	
81.	Cycle rickshaw	
82.	Wood charcoal	
83.	Lime (excluding quenched lime and processed lime)	

Schedule C

[See sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (1) of section 7]

1. Pesticide, weedicide, insecticide and herbicide
2. All types of yarn except cotton yarn but including threads and knitting wool
3. Raw wool and its waste
4. Cotton waste, woollen waste and waste of all types of yarns
5. Plant hormone
6. Oil cakes and de-oiled cakes including de-oiled rice bran
7. Vegetable Ghee other than imported from outside the territory of India
8. Vegetable oils whether edible or non-edible.
9. Spices and condiments, whether whole, powdered or mixed.
10. Wheat flour, maida and suji, rice flour, gram flour, besan, barley flour, barley ghat, sago (Sabudana), guar and its flour, guar giri, dried peas and its dall, rajmah, lobia and rongi
11. Parched, roasted or puffed grain, parched gram and roasted groundnut except when sold in sealed containers.
12. Soya meal
13. Rice bran and paddy husk
14. Safety matches
15. Gur and Shakkar
16. Sugar, Khandsari and Boora not manufactured or made in India
17. Bone meal, crushed bones, bone sinews and burnt bones.
18. Tractors
19. Harvester combines
20. Computer hardware, software and computer peripherals and uninterrupted power supply (UPS)
21. Cellular phones or mobile handsets
22. Metal utensils and kitchen wares including milk cans
23. Non ferrous industrial metal products i.e. ingots, bars, slabs, sheets, circle, strips, rods, wires (not including electric wires and super enamelled copper wire), tubes, angles and scrap.
24. Ferro alloys

25. Blankets manufactured by composite units
26. Ready made garments and hosiery goods
27. Umbrella cloths, pillow covers, quilt covers, cushion covers, mattress covers and sofa covers.
28. Jute bags, laminated jute bags and HDPE bags
29. Cycle, its parts and accessories
30. Beedi Leaves
31. Preserved, processed, dried or dehydrated fruit, vegetable, fish and meat when sold in sealed containers
32. Raw silk
33. Pipes and tubes made of any material other than iron and steel.
34. Chemical fertilizer
35. Bamboo
36. Ice
37. Firewood and saw dust
38. Incorporeal or intangible goods
39. Hand pump and their parts

Note :— Entries in this schedule are subject to the general exception of exclusion of declared goods”;

(2) in schedule D, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2	3
“5	Petrol, High Speed Diesel, Super Light Diesel Oil and Light Diesel Oil when sold to Export Oriented Units (EOU) or units set up under Export Processing Zone (EPZ) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme or Software Technology Park (STP), for use by such unit in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India ;	4% ”.

CHANDER SINGH,

Financial Commissioner and Principal secretary to
Government Haryana, Excise and Taxation Department.